बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 148 ● नई दिल्ली ● वीरवार 26 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पर्यटन बढ़ाने पर जोर, बजट में तीन गुना बढ़ा टूरिम फंड- कपिल मिश्रा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली का बजट कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि सीएम एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने शानदार बजट पेश किया है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, पर्यटन और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान है। कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण लंबे समय से एक बड़ी समस्या रहा है। बजट में इसे कम करने के लिए कई योजनाओं पर काम करने का प्रावधान किया गया है, ताकि आने वाले समय में राजधानी की हवा को साफ बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट को तीन गुना तक बढ़ाया गया है।

गुरुग्राम दुष्कर्म मामले में शीर्ष अदालत का गुस्सा फूटा, कहा- हरियाणा पुलिस का रवैया शर्मनाक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में तीन साल की बची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में असंवेदनशील रवैया अपनाने पर नाराजगी जताई है। हरियाणा पुलिस और उसकी बाल कल्याण समिति को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, यह शर्मनाक है कि हरियाणा पुलिस ने तीन वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता से खुद जाकर मुलाकात करने के बजाय उसे थाने बुलाया।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल की बची से दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो कानून के तहत दर्ज एफआईआर में अपराध को कमतर करने पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यों वाली एक एसआईटी का गठन किया है, जिसमें हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द एसआईटी को नोटिफाई किया जाए और गुरुग्राम पुलिस को गुरुवार तक जांच से जुड़े दस्तावेज एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम पुलिस के उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिन पर मामले की जांच में लापरवाही का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम बाल कल्याण समिति के सदस्यों को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बाल कल्याण समिति के सदस्यों से पूछा गया है कि उन्हें पद से क्यों न हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के जिला जज को निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट की एक वरिष्ठ महिला न्यायिक अधिकारी को सौंपी जाए। पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस पीड़िता के घर क्यों नहीं जा सकती? क्या वे राजा हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के दृष्टिकोण को शर्मनाक और असंवेदनशील करार दिया।

पूरा पुलिस बल, जिसमें पुलिस कमिश्नर से लेकर सब इंस्पेक्टर तक शामिल हैं, सभी कोशिश कर रहे थे कि ये साबित हो जाए कि पीड़िता के पास कोई सबूत नहीं है और पीड़ित बची के परिजन मामला दर्ज न कराएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पोक्सो की धारा 6 के तहत अपराध किया गया। इससे पहले बीती 23 मार्च को भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई थी। 23 मार्च को पुलिस ने हरियाणा के डीजीपी को नोटिस जारी किया था और गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और मामले की जांच कर रहे अधिकारी को सभी दस्तावेजों के साथ 25 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने बची के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में सीबीआई से जांच की मांग की गई है और हरियाणा पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। गुरुग्राम में एक तीन साल की बची का कथित तौर पर घर में काम करने वाली दो सहायिका और उनके पुरुष सहयोगियों ने करीब दो माह तक यौन शोषण किया। बची के माता-पिता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो और बीएनएस कानून की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया।

वंदे मातरम के अनिवार्य गायन मामले में याचिका खारिज, गृह मंत्रालय के सर्कुलर को दी गई थी चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वंदे मातरम गायन को अनिवार्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका गृह मंत्रालय के एक सर्कुलर के खिलाफ दायर की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय गीत गाने का निर्देश अनिवार्य नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि मुहम्मद सईद नूरी की तरफ से दायर याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। भेदभाव की आशंकाओं को अदालत ने अस्पष्ट करार दिया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि देश में हर धर्म का सम्मान किया जाता है। हेगड़े ने अपनी दलीलों में कहा कि लोगों को अपनी आस्था के बावजूद राष्ट्रीय गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सर्कुलर के कारण निष्ठा के सामाजिक प्रदर्शन में भाग लेना मजबूरी बन सकता है। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि क्या सर्कुलर में न गाने पर दंड के कोई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को न गाने के लिए हटाया गया था। इस पर हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वंदे मातरम गायन के दौरान व्यवधान पैदा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश के खंड 5 में सकना शब्द का प्रयोग है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय गीत गाने या न गाने की पूरी स्वतंत्रता है। यह प्रावधान किसी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। मुख्य न्यायाधीश कांत ने भी हेगड़े से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भेजा गया था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि उसे कोई दंडात्मक कार्रवाई या नोटिस मिलता है। तो वह फिर से अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

दिल्ली विधानसभा में गूंजा सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक जाम का मुद्दा, विधायकों ने जनता की समस्याएं उठाई

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही नियम संख्या 280 (विशेष उल्लेख) के तहत शुरू हुई। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों ने अपने-अपने इलाकों से जुड़े मुद्दे सदन में उठाए और सरकार से समाधान की मांग की। बुधवार को विधानसभा सदन की कार्यवाही में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन किया। पटपड़गंज से विधायक रविंदर नेगी ने अपने क्षेत्र पूर्वी विनोद नगर में भू-माफिया द्वारा Delhi Development Authority की जमीन पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाया और इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे लगने वाले भारी ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे स्थानीय लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिठाला से विधायक कुलवंत राणा ने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। उन्होंने इस पर सख्ती से संज्ञान लेने की मांग की।

बिना लाइसेंस चल रहीं मीट की दुकानें

विधायक हरीश खुराना ने बिना लाइसेंस चल रही मीट की दुकानों का मुद्दा उठाया और इन पर रोक लगाने की मांग की।

नजफगढ़ में सर्कल रेट बढ़ाने की मांग

नजफगढ़ से विधायक पूनम शर्मा ने कहा कि इलाके में संपत्तियों के सर्कल रेट बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।

मुंडका में अस्पताल की जरूरत

विधायक गजेंद्र सिंह दराल ने मुंडका क्षेत्र में अस्पताल की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कंझावला में अस्पताल तो बना है, लेकिन उसी भवन में होने के कारण आपात स्थिति में मुंडका में अलग अस्पताल की आवश्यकता है।

खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत का मुद्दा

विधायक राजकुमार भाटिया ने कहा कि कई एजेंसियां सड़कों पर खुदाई तो कर देती हैं, लेकिन बाद में उन्हें ठीक से भरती नहीं हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने इसके लिए एनओसी को अनिवार्य बनाने की मांग की।

सीवर की गाद नहीं उठाने पर सवाल

विधायक अजय महावर ने कहा कि सीवर की सफाई के बाद निकाली गई गाद को समय पर नहीं उठाया जाता, जिससे आसपास गंदगी फैलती है।

एलपीजी संकट पर आप का हल्लाबोल,आतिशी बोलीं- पीएम ने मोदी के सामने सरेंडर किया

नई दिल्ली ।आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों के विरोध में 25 मार्च को दिल्ली विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और देश की जनता इसके परिणाम भुगत रही है। उन्होंने भाजपा पर चुनाव वादों को पूरा न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था।

अब समझ में आता है कि उनकी योजना क्या थी- सिलेंडरों को पूरी तरह से गायब कर देना ताकि सब कुछ मुफ्त हो जाए। भाजपा को सरकार चलाना नहीं आता, चाहे भारत में हो या दिल्ली में। आज दिल्ली के लोग भाजपा से तंग आ चुके हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, जो अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया है। 28 फरवरी को अमेरिकी और इजरायली संयुक्त सैन्य हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता, 86 वर्षीय अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया। इसके जवाब में, ईरान ने कई खाड़ी देशों में इजरायली और अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, जिससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर व्यवधान और बढ़ गया और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित हुई। पिछले दिन, दो भारतीय एलपीजी वाहक पोत, जग वसंत और पाइन गैस, ऊर्जा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य से सफलतापूर्वक गुजरे। इन पोतों में कुल 92,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी का माल था। तस्वीरों में पाइन गैस एलपीजी वाहक पोत को जलडमरूमध्य पार करते हुए दिखाया गया। इन जहाजों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में जग वसंत और पाइन गैस पर सवार क्रमशः 33 और 27 भारतीय नाविकों की भूमिका है। यात्रा पूरी होने के बाद, ये जहाज 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे ताकि घरेलू ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र और राय सरकारों से संयुक्त प्रयास करने का आह्वान किया। रायसभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने शांति और संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक एकजुट वैश्विक आवाज उठाने का आग्रह किया और खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीयों के व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सुरक्षा में संघर्ष के व्यवधान को उजागर किया।

कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर मोदी पर लगाया यू टर्न लेने का आरोप

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर 'नारी वंदन अधिनियम, 2023के लागू होने के मामले में अचानक यू-टर्न लेने का आरोप लगाया और इसे ज़रूरी राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सितंबर 2023 में जिस नये संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, वहीं इस ऐतिहासिक कानून को पारित किया गया था। इस कानून के ज़रिए संविधान में संशोधन करके लोकसभा और रायों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सितंबर 2023 में नए संसद भवन का उद्घाटन नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित करके किया गया था, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। इस कानून में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान शामिल था। उन्होंने कहा कि इन आरक्षणों को लागू करने का काम स्पष्ट तौर पर परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया था। श्री रमेश ने कहा, ये दोनों आरक्षण तभी लागू होने थे, जब परिसीमन और जनगणना का काम पूरा हो जाता। कांग्रेस नेता ने बताया कि विधेयक पर संसदीय बहस के दौरान कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों से ही इसे तुरंत लागू करने की ज़ोरदार मांग की थी। उन्होंने कहा, तब मोदी सरकार ने यह तक दिया था कि परिसीमन और जनगणना का काम पहले पूरा किए बिना ऐसा करना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री पर अपना रुख बदलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, अब 'यू-टर्न उस्तादने 30 महीने बाद अचानक अपना मन बदल लिया है और अब वह परिसीमन और जनगणना का काम पूरा किए बिना ही आरक्षण लागू करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कदम का समय राजनीतिक रूप से प्रेरित है। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री डब्ल्यूएमडी यानी 'ध्यान भटकाने वाले बड़े हथियार' इस्तेमाल करने में बेजोड़ हैं।

अपनी विदेश नीति की असफलताओं और देश में एलपीजी और ऊर्जा संकट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बेताब होकर, उन्होंने यह नयी पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले पखवाड़े में संसद का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है, ताकि इस कानून में संशोधन करके आरक्षण के प्रावधानों को लागू किया जा सके। उन्होंने कहा, इसका पूरा राजनीतिक फ़ायदा उठाने की चाहत में, उन्होंने यह बात ज़ाहिर कर दी है कि ऐसा सत्र बुलाया जाएगा। श्री रमेश ने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें यह मांग की गई है कि 29 अप्रैल के बाद जब विधानसभा चुनावों का मौजूदा दौर खत्म हो जाएगा,एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा, इस तरह के अहम संशोधनों के लिए विस्तृत चर्चा और आम सहमति की ज़रूरत होती है। उन्होंने उन रिपोर्टों पर भी चिंता जताई, जिनमें कहा गया है कि सरकार लोकसभा और रायों की विधानसभाओं का आकार 50 प्रतिशत तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने इस प्रस्ताव पर गहन विचार-विमर्श करने की मांग की है। प्रस्तावित संसदीय सत्र के समय को लेकर चिंता जताते हुए श्री रमेश ने चुनाव आयोग की 'आचार संहिता के कमज़ोर पड़ने की बात कहकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, आचार संहिता अब सिर्फ़ 'मोदी की प्रचार संहिता'बनकर रह गई है। अप्रैल में विशेष सत्र बुलाना एक एमसीसी का उल्लंघन होगा, जबकि यह दूसरी एमसीसी के अनुरूप होगा। कांग्रेस नेता ने जाति जनगणना कराने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया, जिसकी घोषणा सरकार ने अप्रैल 2025 में की थी। उन्होंने ज़िक्र किया कि इस माँग को पहले सत्ताधारी पक्ष ने खारिज कर दिया था, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा तथा 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं पर शहरी नक्सली मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था।

धर्म और जाति को लेकर आए सुप्रीम आदेश के राजनीतिक-सामाजिक मायने

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से बाहर जाकर धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। दरअसल, आंध्र प्रदेश के एक धर्मांतरित ईसाई पादरी से जुड़े मामले में आए इस नवीनतम फैसले के व्यापक राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इससे हिन्दू समुदाय के दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर धर्मांतरित करवाये जाने का पूरा खेल ही अब हतोत्साहित हो जाएगा। हालांकि, कांग्रेस व समाजवादी मूल की क्षेत्रीय पार्टियां यदि चाहें तो इस मुद्दे पर अपनी राजनीति भी शुरू कर सकती है कि जब हिन्दू, बौद्ध या सिख बनेंगे तो उनका एससी/ओबीसी स्टेटस बरकरार रहेगा, लेकिन जैन, ईसाई, मुसलमान, पारसी आदि बनने पर नहीं, यह कौन सा खिचड़ी न्यायिक दर्शन है, जो हर गतिरोध के बाद एक नया गतिरोध पैदा कर देता है। कहने का तात्पर्य यह कि ज्यूडिशियल एंटीबायोटिक पॉवर बढ़ाये बिना सम्बन्धित व्यक्ति या समूह का कल्याण नहीं होने वाला है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 23-24 मार्च 2026 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म (जैसे ईसाई, इस्लाम आदि) में परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। इस आदेश से एससी/एसटी आरक्षण लाभ और अत्याचार निवारण अधिनियम का संरक्षण खत्म हो जाता है। दरअसल, यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मई 2025 के आदेश पर आधारित है, जहां एक ईसाई पादरी को एससी/एसटी एक्ट के तहत संरक्षण से वंचित किया गया। क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल निर्दिष्ट धर्मों के अनुयायी ही एससी लाभ ले सकते हैं। ईसाई या इस्लाम अपनाने पर जातिगत पहचान और लाभ दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस फैसले के अहम राजनीतिक मायने हैं। यह फैसला धर्मांतरण पर आधारित आरक्षण दावों को रोक सकता है, जो दक्षिणपंथी दलों के लिए समर्थन बढ़ाएगा। वहीं, अल्पसंख्यक आरक्षण बहस (जैसे दलित ईसाई/मुस्लिम) को प्रभावित कर चुनावी राजनीति में हिंदू एकता पर जोर देगा। राज्य सरकारें ओबीसी/एससी सूचियों की समीक्षा के दबाव में आ सकती हैं। वहीं, इस फैसले के बाद धर्म परिवर्तन और आरक्षण से जुड़ी बहस जोर पकड़ सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आलोक में फैसला दिया है, लेकिन कुछ मसले ऐसे होते है जहां कानून और जमीनी हकीकत आमने-सामने आ जाते हैं। भारत में जाति एक सच्चाई है, जिसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन इससे जुड़ी बुराइयों को खत्म करने की तमाम कोशिश होनी चाहिए। जो राजनीतिक और न्यायिक अदूरदर्शिता वश नहीं हो पा रही है और तरह तरह के संवैधानिक विवाद जन्म ले रहे हैं, जिससे राष्ट्रीय हितों को लगातार धक्का लग रहा है। जहां तक इस फैसले के सामाजिक प्रभाव की बात है तो धर्म परिवर्तन के बाद एससी/ओबीसी का लाभ न मिलने से सामाजिक न्याय की नीति मजबूत होगी, लेकिन धार्मिक रूपांतरण रोकने या जातिगत अस्मिता पर बहस तेज हो सकती है। चूंकि दलित समुदायों में हिंदू/सिख/बौद्ध रहने का दबाव बढ़ेगा, जबकि ईसाई/मुस्लिम समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर देखा जाए तो यह आरक्षण को ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। इस पर मौजूदा मोदी सरकार के वैचारिक असर से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सरकार दलित/ओबीसी हिंदुओं की एकजुटता व समग्र उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि देश में जाति से जुड़ा सवाल बहुत टेढ़ा और जटिल है। क्योंकि सामाजिक स्तर पर हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि क्या धर्म बदलने भर से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है? गाहे बगाहे ऐसे मामले सामने आते रहे है, जिनमें दलित या ओबीसी समुदाय के लोगों को दूसरा धर्म अपनाने के बाद भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। पिछले साल मार्च में ही तमिलनाडु के कुछ ईसाई परिवारों, जो पहले दलित थे, ने आरोप लगाया था कि उनके साथ समान व्यवहार नहीं होता। यहां तक कि कब्रिस्तान में उनके लोगों के शवों को दफनाने के लिए भी अलग जगह है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत के फैसले का आधार संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 है। जिसका क्लॉज 3 कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले ही एससी श्रेणी में आ सकते है। धर्म परिवर्तन और जाति से जुड़ी यह बहस बहुत पुरानी है। इसके दो पहलू है। एक, जिन धर्मों में जाति व्यवस्था नही है, उन्हें अपनाकर फिर जाति से जुड़े लाभ कैसे लिए जा सकते है। पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है, उन्होंने अनुसूचित जाति से जुड़े लाभ छोड़ दिए हों। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति समुदाय को मिलने वाले फायदे लेते रहना संविधान के साथ धोखा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास इस तरह की कई शिकायतें है और उसने पिछले साल देशभर में जांच भी शुरू की थी। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि संविधान के तहत मिले अधिकार का दुरुपयोग न होने पाए। क्योंकि जाति और धर्म का दुरुपयोग होने की चिंता शुरू से ही न्यायिक विमर्श का मुद्दा बनी हुई है। लिहाजा ब्रेक के बाद न्यायदेश मिलते रहते हैं। इंद्रा साहनी केस (1992) मुख्य रूप से ओबीसी आरक्षण पर केंद्रित था, लेकिन हालिया सुप्रीम कोर्ट फैसले (धर्म परिवर्तन पर एससी दर्जा समाप्ति) से इसका अप्रत्यक्ष संबंध है। दोनों आरक्षण को जाति-आधारित ऐतिहासिक अन्याय सुधार तक सीमित रखने के सिद्धांत साझा करते हैं।
इ

सम्पादकीय...

रिश्तों की डोर मजबूत रखें

आज के समय में हमारे समाज में रिश्तों का महत्व कुछ कम होता नजर आ रहा है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी में। लोग मोबाइल पर संदेश भेज देते हैं, फोन पर औपचारिक बातचीत भी कर लेते है, परंतु आमने-सामने बैठकर दिल से बात करने का समय जैसे कम होता जा रहा है। तकनीक ने हमें जोड़ा तो है, लेकिन कहीं न कहीं भावनात्मक दूरी भी बढ़ा दी है। रिश्तों का वास्तविक आनंद तभी आता है जब हम एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, एक-दूसरे को महसूस करते हैं। आज भले ही युवा रिश्तों की गहराई को पूरी तरह न समझ पा रहे हों, लेकिन जब वे जीवन के अगले पड़ाव में, वरिष्ठता की ओर बढ़ेंगे, तब उन्हें इन रिश्तों की कमी और अहमियत का एहसास अवश्य होगा। उस समय पछतावा न हो, इसके लिए आज से ही सजग होना आवश्यक है। रिश्तों को टूटने से बचाने और उन्हें जीवंत बनाए रखने के लिए केवल प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और निरंतर प्रयास की भी आवश्यकता होती है। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस थोड़ी सजगता और संवेदनशीलता चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करें, जो रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं– जब भी कोई समस्या हो, उसे मन में दबाकर रखने के बजाय खुलकर बात करें। अनदेखी करना या 'एटीट्यूड' दिखाना रिश्तों को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि हम सुनना सीखें। केवल अपनी बात कहना ही पर्याप्त नहीं है, सामने वाले की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। हर रिश्ते की नींव सम्मान पर टिकी होती है। कभी भी आत्म-सम्मान को खोकर व्यवहार न करें, और न ही दूसरों के सम्मान को ठेस पहुंचाएं। जिस दिन सम्मान समाप्त हो जाता है, उस दिन रिश्ता भी जीवित नहीं रहता। चाहे वह पति-पत्नी का रिश्ता हो, माता-पिता और बच्चों का, भाई-बहनों का या मित्रों का-सम्मान हर जगह अनिवार्य है। लंबे समय तक रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखें और बदलाव को स्वीकार करें। यह समझें कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसमें भी कमियां हो सकती है।'पूर्णता' की अपेक्षा रिश्तों को बोझिल बना देती है। लोगों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं। व्यस्त जीवनशैली में अक्सर रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। लेकिन यदि हम सचेत रूप से उन्हें प्राथमिकता दें और साथ में 'क्वालिटी टाइम' बिताएं, तो रिश्तों में नई ऊर्जा बनी रहती है। कभी-कभी छोटी-सी मुलाकात या साथ बिताया गया समय भी बहुत कुछ संवार देता है। रिश्तों में गलतियां होना स्वाभाविक है। ऐसे में माफ करना सीखना बहुत आवश्यक है। दूसरों को माफ करने से सबसे अधिक शांति हमें स्वयं को मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम गलत को सही ठहराएं, बल्कि यह कि हम पुराने बोझ को छोड़कर आगे बढ़ें। यदि रिश्ते को बनाए रखना है, तो थोड़ा-बहुत 'एडजस्ट' करना सीखना होगा। हर बार यह सोचकर नहीं चलना चाहिए कि केवल हम ही समझौता कर रहे हैं। कभी ठहरकर यह भी देखना चाहिए कि सामने वाला भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। जब हम खुद संतुष्ट और खुश रहते हैं, तभी हम दूसरों के साथ भी खुशी बांट सकते हैं। अपनी खुशी के लिए केवल दूसरों पर निर्भर रहना रिश्तों पर अनावश्यक दबाव डालता है। रिश्तों की सबसे मजबूत नींव विश्वास है। इसे कभी टूटने न दें। छोटी-छोटी बातें, छोटे झूठ भी रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बनाना बहुत कठिन होता है।

गणेश शंकर विद्यार्थी- जब कलम बनीं क्रांति

गणेश शंकर विद्यार्थी का मन इन दंगों से बड़ा व्यथित हुआ और वे स्वयं इन दंगों को रोकने तथा दोनों समुदायों में भाईचारा कायम करने के लिए लोगों को समझाते हुए घूमने लगे। कई जगहों पर वे लोगों को समझाने में सफल भी रहे और इन दंगों के दौरान उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई भी लेकिन वे स्वयं दंगाइयों की एक ऐसी टुकड़ी में फंस गए. जो उन्हें पहचानते नहीं थे। उसके बाद उनकी बहुत खोज की गई किन्तु वे कहीं नहीं मिले। आखिर में उनका पार्थिव शरीर एक अस्पताल में लाशों के ढेर में पड़ा मिला, जो इतना फूल गया था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। हजारों लोगों की जान बचाने के बावजूद गणेश शंकर विद्यार्थी स्वयं धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गए और इस प्रकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को फांसी दिए जाने के दो ही दिन बाद देश ने 25 मार्च 1931 को अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने वाला निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदार, यशस्वी व क्रांतिकारी पत्रकार भी खो दिया। 29 मार्च 1931 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन पर्यन्त जिस धार्मिक कट्टरता तथा उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, वही धार्मिक उन्माद उनकी जिंदगी लील गया।

गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता जगत के ऐसे महान पुरोधा थे, जिनकी लेखनी से ब्रिटिश सरकार इस कदर भयभीत रहती थी कि क्रांतिकारी लेखन के लिए उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा पांच बार सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा दी गई। उनके लेखों में ऐसी गजब की ताकत थी कि उनकी पत्रकारिता ने ब्रिटिश शासन की नींद हराम कर दी थी। जब उनकी कलम चलती थी तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल जाती थीं। बेमिसाल क्रांतिकारी पत्रकारिता के कारण ही गणेश शंकर विद्यार्थी और उनका अखबार 'प्रताप' आज के दौर में भी पत्रकारिता जगत के लिए आदर्श माने जाते हैं। वह एक निर्भीक पत्रकार, समाजसेवी, महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। वे स्वयं तो एक उच्च कोटि के पत्रकार थे ही, उन्होंने अनेक युवाओं को लेखक, पत्रकार तथा कवि बनने की प्रेरणा और ट्रेनिंग दी। कांग्रेस के विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने तथा ब्रिटिश सत्ता के अत्याचारों के विरुद्ध 'प्रताप' में निर्भीक लेख लिखने के कारण वे पांच बार जेल गए। जब भी उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किया जाता तो उनकी अनुपस्थिति में 'प्रताप' का सम्पादन माखनलाल चतुर्वेदी तथा बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' सरीखे साहित्य के दिग्गज संभाला करते थे। 26 अक्तूबर 1890 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में एक स्कूल हैडमास्टर जयनारायण के घर जन्मे विद्यार्थी जी की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू तथा अंग्रेजी में हुई। इलाहाबाद में शिक्षण के दौरान ही उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर हुआ। हिन्दी साप्ताहिक 'कर्मयोगी' के सम्पादन में वे पंडित सुन्दर लाल की सहायता करने लगे। कानपुर में अध्यापन के दौरान उन्होंने कर्मयोगी सहित कई और अखबारों में लेख लिखे और पत्रकारिता के जरिये स्वाधीनता आन्दोलन से गहरे जुड़ गए। कुछ समय बाद उन्होंने पत्रकारिता, सामाजिक कार्यों तथा स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़ाव के चलते 'विद्यार्थी' उपनाम अपना लिया और गणेश शंकर से 'गणेश शंकर विद्यार्थी' हो गए। उनकी उत्कृष्ट लेखनशैली से प्रभावित होकर हिन्दी पत्रकारिता जगत के पुरोधा पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' में उपसम्पादक के पद पर कार्य करने का ऑफर दिया किन्तु विद्यार्थी जी को ज्वलंत समाचारों, समसामयिक तथा राजनीतिक विषयों में ज्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने द्विवेदी जी का प्रस्ताव स्वीकारने के बजाय महामना पं. मदन मोहन मालवीय के हिन्दी साप्ताहिक 'अभ्युदय' में नौकरी ज्वाइन की। 9 नवम्बर 1913 को उन्होंने एक क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में कानपुर से स्वयं 'प्रताप' नामक पत्रिका निकालना शुरू कर दिया। प्रताप के जरिये विद्यार्थी जी किसानों, मजदूरों और ब्रिटिश अत्याचारों से कराहते गरीबों का दुख-दर्द उजागर करने लगे। ब्रिटिश शासनकाल की उत्पीड़न और अन्याय की क्रूर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना उनकी पत्रकारिता का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, जो ब्रिटिश हुकूमत को फूटी आंख न सुहाया और इसीलिए अपनी इसी क्रांतिकारी पत्रकारिता का खामियाजा उन्हें कई मुकद्मों, भारी जुर्माने और कई बार जेल जाने के रूप में भुगतना पड़ा। 1920 में उन्होंने 'प्रताप' का दैनिक संस्करण निकालना शुरू कर दिया, जो मूलतः किसानों, मजदूरों और पीड़ितों का हिमायती समाचारपत्र बना रहा। उन्होंने 'प्रताप' के अलावा 'प्रभा' नामक एक साहित्यिक पत्रिका तथा एक राजनीतिक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। घटना जनवरी 1921 की है, जब रायबरेली के एक ताल्लुकदार सरदार वीरपाल सिंह ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी। 'प्रताप' के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने उस घटनाक्रम का पूरा विवरण अपने अखबार में छापा, जिसके लिए उन्हें तथा 'प्रताप' छापने वाले शिवनारायण मिश्र पर मानहानि का मुकद्मा दर्ज किया गया और उन्हें जेल हो गई। 16 अक्तूबर 1921 को विद्यार्थी जी ने स्वयं गिरफ्तारी दी और 22 मई 2022 को जेल से रिहा हुए। जेल में रहते हुए उन्होंने एक डायरी लिखी और रिहाई के बाद उन्होंने उसी पर आधारित 'जेल जीवन की झलक' नामक एक ऐसी श्रृंखला छापी, जिसे अत्यधिक पसंद किया गया और 'प्रताप' के साथ पाठकों का काफिला जुड़ता गया। उसके बाद तो अंग्रेजों ने उन्हें वक्त-बेवक्त लपेटने का कोई अवसर नहीं छोड़ा लेकिन विद्यार्थी अपने क्रांतिकारी विचारों से जरा भी नहीं डिगे। जेल से रिहाई के कुछ ही समय बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया और 1924 में तब रिहा किया गया, जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। 1925 में राज्यसभा, विधानसभा चुनाव में वे कानपुर से चुने गए और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की स्वागत-समिति के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए लेकिन 1929 में उन्होंने पार्टी की मांग पर त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद वे 1930 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए और उन्हें प्रदेशभर में सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। उसी दौरान उन्हें फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और गांधी-इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को उनकी जेल से रिहाई हुई। स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में हिन्दू-मुस्लिम एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे थे लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने दोनों समुदायों की भावनाओं को भड़काने का ऐसा खेल खेला कि जगह-जगह हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक दंगे भड़कने लगे और देशभर में साम्प्रदायिक हिंसा फैलने लगी। कानपुर शहर भी साम्प्रदायिक दंगों की आग में झुलस उठा। गणेश शंकर विद्यार्थी का मन इन दंगों से बड़ा व्यथित हुआ और वे स्वयं इन दंगों को रोकने तथा दोनों समुदायों में भाईचारा कायम करने के लिए लोगों को समझाते हुए घूमने लगे। कई जगहों पर वे लोगों को समझाने में सफल भी रहे और इन दंगों के दौरान उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई भी लेकिन वे स्वयं दंगाइयों की एक ऐसी टुकड़ी में फंस गए. जो उन्हें पहचानते नहीं थे। उसके बाद उनकी बहुत खोज की गई किन्तु वे कहीं नहीं मिले। आखिर में उनका पार्थिव शरीर एक अस्पताल में लाशों के ढेर में पड़ा मिला, जो इतना फूल गया था कि लोग उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे। हजारों लोगों की जान बचाने के बावजूद गणेश शंकर विद्यार्थी स्वयं धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गए और इस प्रकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को फांसी दिए जाने के दो ही दिन बाद देश ने 25 मार्च 1931 को अपनी कलम की ताकत से ब्रिटिश हुकूमत की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ाने वाला निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदार, यशस्वी व क्रांतिकारी पत्रकार भी खो दिया। 29 मार्च 1931 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी जीवन पर्यन्त जिस धार्मिक कट्टरता तथा उन्माद के खिलाफ आवाज उठाते रहे, वही धार्मिक उन्माद उनकी जिंदगी लील गया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने [illegible] ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। ([illegible])

चैत्र नवरात्रि पर विशाल भंडारे का आयोजन

नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर ।

कुशीनगर जनपद के लक्ष्मीपुर दुबे टोला में चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर आगामी 27 मार्च 2026, दिन शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति द्वारा इसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही हैं। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण एवं भंडारे की विशेष व्यवस्था की गई है। मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के साथ क्षेत्र में धार्मिक माहौल बनेगा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भंडारे के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के कई गणमान्य लोग व युवा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से कार्यक्रम में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की जिसमें उपस्थित रहे लक्ष्मीपुर के प्रधान संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी राजेश श्रीवास्तव जी शंभू पांडेय जी दीपक मद्धेशिया जी वकील राजभर जी भीम राजभर जी राजन गौतम जी दुर्गेश राय जी पुजारी नथुनी राय जी धनंजय मद्धेशिया जी सागर पासवान जी रतन मद्धेशिया जी सिकंदर भारती जी राजकुमार भारती जी अभिमन्यु राय शिवा राय संजय राय तिलक राय देव राय अविनाश राय सतीश राय चंदन राणा पप्पू राय रघु राय विनय मद्धेशिया संगेश कुशवाहा, प्रमोद राय विदुर राय सीतबसंत राय अंकित मद्धेशिया आदि लोग मौजूद रहे।

मनोनित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न

भटनी देवरिया।

मुख्य अतिथि रोहित मिश्रा की मौजूदगी में दीपक वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता व सौरभ सिंह ने ली शपथ

नगर पंचायत भटनी में मनोनित सभासद दीपक वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता और सौरभ सिंह का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में नगर के जनप्रतिनिधियों, व्यापार मंडल पदाधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। समारोह के मुख्य अतिथि मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा तथा विशिष्ट अतिथि हितेन्द्र तिवारी रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता उर्फ मुन्ना ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रतीक मिश्रा द्वारा किया गया। इस दौरान ईओ अमित कुमार सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष नवीन गुप्ता सहित नगर पंचायत के सभी सभासद और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण के दौरान दीपक वर्मा, अशोक कुमार गुप्ता व सौरभ सिंह ने सभासद पद की शपथ लेते हुए नगर के विकास, जनसमस्याओं के समाधान और जनता की सेवा के लिए ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व विधान परिषद सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष महेन्द्र यादव के निधन पर सभी उपस्थित लोगों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके प्रति भावभीनी श्रद्धा व्यक्त की।

त्योहारों के मद्देनजर कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट, मजिस्ट्रेटों की तैनाती

कुशीनगर ।

जनपद में चल रहे नवरात्रि पर्व के साथ 25 मार्च को अष्टमी, 26 मार्च को रामनवमी तथा 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को जुम्मे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा 25 मार्च से 27 मार्च तक विशेष ड्यूटी लगाई गई है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशानुसार जनपद में 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, 6 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 38 अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है, वहीं आकस्मिक परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रिजर्व में भी जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल तैनात किया जाएगा। सभी मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि सभी अधिकारी अपने तैनाती क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखें और वर्तमान में लागू धारा 163 का सख्ती से पालन कराएं। संवेदनशील एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन एवं उच्चाधिकारियों को देने को कहा गया है। साथ ही मजिस्ट्रेटों को संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारों के दौरान निगरानी एवं त्वरित समन्वय के लिए कलेक्ट्रेट, कुशीनगर में विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जिसका संपर्क नंबर 05564-240590 जारी किया गया है। कंट्रोल रूम में प्रभारी अधिकारी नीरज कुमार गौड़ (सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता) तथा आलोक कुमार प्रियदर्शी (जिला पंचायत राज अधिकारी) को तैनात किया गया है, जो अपने स्टाफ के साथ लगातार उपस्थित रहकर सभी तैनात अधिकारियों से संपर्क बनाए रखेंगे और स्थिति की जानकारी उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। जनपद प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं, जिससे सभी त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकें।

शराब की दुकान हटाने की मांग, ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन

पटहेरवा कुशीनगर ।

- स्कूल जाने वाले छात्र-छात्राओं व महिलाओं को रोजाना हो रही परेशानी
- शराबियों की भीड़, सड़क पर खड़े वाहन से दुर्घटना की आशंका बढ़ी

ग्राम पंचायत नौगांवा थाना पटहेरवा तहसील तमकुहीराज क्षेत्र के मौजा लबनिया में नहर पटरी से सटी सड़क पर स्थित देसी शराब व बीयर की दुकान को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क दर्जनों गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, जिससे होकर प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं विद्यालय आते-जाते हैं। साथ ही महिलाओं का भी दैनिक आवागमन इसी रास्ते से होता है। ऐसे में मार्ग पर शराब की दुकान होने से असुविधा व असुरक्षा का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि दुकान के आसपास शराबियों की भीड़ लगी रहती है, जिससे गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार की घटनाएं होती रहती हैं। सड़क पर मोटरसाइकिल व अन्य वाहन खड़े रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

वहीं नेशनल हाईवे से जुड़े इस मार्ग पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे भी शराब की दुकान को प्रमुख कारण बताया गया।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित व सुरक्षा को देखते हुए उक्त शराब की दुकान को तत्काल प्रभाव से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। ज्ञापन देने वालों में आत्मा पर्वत, पालतू, विनय बरनवाल, पूजा कुमारी, बबीता, बिदावती देवी, रीता देवी, बिंदु तिवारी, मिलन पटेल, अशोक प्रसाद, पारस, सुनीता देवी, गुलशन पटेल, हीरालाल आदि उपस्थित रहे।

जिले में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, डीएम ने कहा- अफवाहों से बचें, कृत्रिम संकट न पैदा करें

देवरिया।

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं का किया खंडन, जिले में 1543 किलोलीटर पेट्रोल व 1960 किलोलीटर डीजल का स्टॉक, आपूर्ति व्यवस्था सुचारु

जनपद में पेट्रोल एवं डीजल की उपलब्धता को लेकर फैल रही भ्रामक सूचनाओं के बीच जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्पष्ट किया है कि जिले में ईंधन की किसी प्रकार की कमी नहीं है। उन्होंने जनपदवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में पेट्रोल की दैनिक खपत लगभग 263 किलोलीटर है, जबकि वर्तमान में विभिन्न डिपो में कुल 1543 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो कई दिनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार, डीजल की दैनिक मांग लगभग 435 किलोलीटर है, जबकि जिले में वर्तमान समय में 1960 किलोलीटर डीजल का स्टॉक मौजूद है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि तेल कंपनियों द्वारा नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है तथा डिपो से पेट्रोल पंपों तक ईंधन की आवक निरंतर बनी हुई है। किसी भी स्तर पर आपूर्ति बाधित नहीं है और प्रशासन द्वारा इस पूरी व्यवस्था की सतत निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले में ईंधन का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और आने वाले दिनों में भी नियमित आपूर्ति जारी रहेगी। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि घबराहट में ईंधन का अतिरिक्त भंडारण करने से कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे अन्य लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, इसलिए लोग शांतिपूर्वक अपनी आवश्यकतानुसार ईंधन भरवा सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुरूप ईंधन की बिक्री सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता, कालाबाजारी या अधिक मूल्य वसूली पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की तुरंत रोकथाम हो सके। जिलाधिकारी ने पुनः दोहराया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और जनहित में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनपदवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लोग प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं।

30 कार्यदिवस में न्याय- कुशीनगर में पाक्सो व हत्या प्रकरण में दोषी को फांसी

कुशीनगर ।

जनपद कुशीनगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म एवं हत्या जैसे जघन्य अपराध में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए महज 30 कार्यदिवस के भीतर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। थाना जटहां बाजार क्षेत्र में दर्ज एफआईआर संख्या 020/2026 के अनुसार 23 फरवरी 2026 को वादिनी द्वारा अपने पुत्र अंकुश के लापता होने तथा बाद में उसका शव खैरा माई स्थान पर मिलने की सूचना दी गई थी। इस पर पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 238(ए) तथा पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। जांच के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष आलोक कुमार के नेतृत्व में साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त पिन्टू उर्फ कोयल पुत्र विशुनी निषाद, निवासी हिरनही बीन टोली को 25 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना के दौरान डिजिटल साक्ष्यों को e-Sakshya ऐप के माध्यम से सुरक्षित किया गया तथा फोरेंसिक लैब से डीएनए रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त की गई। पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 9 कार्यदिवस में आरोप पत्र तैयार कर 7 मार्च 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, जिस पर 8 मार्च को संज्ञान लेते हुए सुनवाई प्रारंभ हुई। मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की गई, जिसमें सभी गवाहों को समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, कुशीनगर ने 25 मार्च 2026 को निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को मृत्यु दंड (फांसी) एवं 3 लाख 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। इस मामले में विवेचक उपनिरीक्षक आलोक यादव, एडीजीसी।

व्यापारियों की समस्याओं के निस्तारण को डीएम ने बुलाई व्यापार बंधु की बैठक, अधिकारियों को दिए प्राथमिकता पर समाधान के निर्देश

देवरिया। जनपद में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में व्यापार बंधु की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं एवं सुझावों से जिलाधिकारी को अवगत कराया। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारियों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, जिससे व्यापारिक गतिविधियां निर्बाध रूप से संचालित होती रहें और व्यापारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक के दौरान व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने रेलवे क्रॉसिंग देवरिया के समीप जाम की समस्या, बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याएं सहित कई मुद्दे उठाए। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं समस्याओं पर नियमानुसार त्वरित निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न विभागों को इस संबंध में सक्रिय एवं उत्तरदायी भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। बैठक में पूर्व में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण की स्थिति की भी संक्षिप्त समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी समस्या के समाधान में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीजेआई के भाई को किया फोन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल; भड़कते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा- हिम्मत कैसे हुई?

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कुछ दिन पहले एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद एक शख्स ने उनके ही भाई को फोन कर डाला और पूछ लिया कि सीजेआई ऐसा आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हरियाणा सरकार के वकील को कड़ी फटकार लगाई है. उन्होंने इस मामले में अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. हरियाणा सरकार से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात का खुलासा किया. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, किसी ने मेरे भाई को फोन किया और पूछा कि मैंने ऐसा आदेश कैसे पारित किया? उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? इस मामले में नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे हरियाणा सरकार की ओर से पेश वकील से बात की और इसमें शामिल व्यक्ति के बर्ताव पर सवाल उठाया. सीजेआई ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को फोन करने की और यह पूछने की कि सीजेआई ने आदेश कैसे पारित किया? क्या अब वह मुझे डिक्टेट करेगा? आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए और एक वकील के तौर पर आपको सबसे पहले इस मामले से हट जाना चाहिए. उन्होंने आगे सख्त चेतावनी देते हुए कहा, भले ही वह भारत के बाहर कहीं भी छिपा हो. मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है. दोबारा कभी ऐसी कोशिश मत करना. मैं पिछले 23 सालों से ऐसे लोगों से निपटता आ रहा हूं. हरियाणा के भाई-बहन निखिल पुनिया और एकता पुनिया ने कथा मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए बौद्ध अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र के तहत लाभ की मांग की थी. भाई-बहन ने दावा किया था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ के लिए पात्र हैं. इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने के सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था. मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने इस मामले को सिस्टम का दुरुपयोग बताया था. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, यह एक नए तरह का फ्रॉड है. हमें और ज्यादा कहने पर मजबूर मत करो. अदालत ने सवाल उठाया था कि पुनिया जाट समुदाय के उम्मीद हैं, जिन्हें सामान्य कैटेगरी में रखा जाता है. ऐसे में उन्हें अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र कैसे मिल सकता है. कोर्ट ने भाई-बहन की याचिका को खारिज कर दिया था. चीफ जस्टिस ने कहा था, आप अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनना चाहते हैं. आप सबसे समृद्ध समुदायों में से एक से आते हैं. अपनी योग्यता पर गर्व कीजिए। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने भी धर्मांतरण के समय को लेकर संदेह जाहिर किया था. उन्होंने कहा था, क्या वे परीक्षा से ठीक पहले बौद्ध बन गए थे? उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा था कि ऐसे सर्टिफिकेट कैसे जारी किए गए? मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज एक बौद्ध अल्पसंख्यक संस्थान है, जिसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग से मान्यता मिली है. हरियाणा के हिसार में रहने वाले कृष्ण पुनिया के बच्चे निखिल और एकता पुनिया को सब-डिविजनल ऑफिसर (सिविल) से बौद्ध अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट मिल गया था. लेकिन वे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए थे.

मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच भारत सेफ, सरकार ने कहा- न तेल की कमी होगी, न दाम बढ़ेंगे

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में कच्चे तेल और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए घबराने या पैनिक बाइंग करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और गैस की सप्लाई भी 100फीसदी जारी रहेगी. वहीं विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान पीएम ने होर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खुला रखने और तनाव कम करने की आवश्यकता जताई है.

देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक है. हमारे पास पेट्रोलियम, डीजल का पर्याप्त स्टॉक है. कहीं कोई कमी नहीं है. घबराहट में खरीदारी से बचें. पेट्रोल, डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. 100 फीसदी पीएनजी और 100 फीसदी सीएनजी की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि कल पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है. सरकार पीएनजी के विस्तार पर काम कर रही है. 2.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन रजिस्टर हुए हैं. 2.20 लाख उपभोक्ता एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट हुए हैं. अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने बताया कि मिडिल ईस्ट से भारत की ओर आने वाले विमानों की स्थिति में सुधार जारी है. 28 फरवरी से अब तक 4.26 लाख भारतीय वापस आ चुके हैं. आज 80 उड़ानों की उम्मीद है.

इच्छामृत्यु के बाद हरीश राणा का अंतिम संस्कार- पिता हाथ जोड़कर बोले- कोई रोना मत; अंगदान से 6 को नई जिंदगी मिलेगी

नई दिल्ली।

इच्छामृत्यु पाने वाले गाजियाबाद के हरीश राणा का अंतिम संस्कार हो गया। दिल्ली के ग्रीन पार्क श्मशान घाट में बुधवार सुबह 9.40 बजे छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। इससे पहले, हरीश का पार्थिव शरीर श्मशान घाट लाया गया।

पिता अशोक राणा (62) ने बेटे हरीश को आखिरी बार प्रणाम किया। पिता ने रोते हुए लोगों से हाथ जोड़कर कहा- कोई रोना मत। बेटा शांति से जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं। बेटा अब जहां जन्म ले, उसे भगवान का आशीर्वाद मिले। 31 साल के हरीश ने कल यानी 24 मार्च को दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली थी। वे 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टर्स के मुताबिक परिवार ने हरीश के फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया दान किया है। इससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हरीश को एम्स में पैसिव यूथेनेशिया दिया गया। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है, उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को 11 मार्च को इच्छामृत्यु की इजाजत दी थी। यह देश का पहला मामला है, जिसमें किसी को इच्छामृत्यु दी गई थी। हरीश को 14 मार्च को गाजियाबाद वाले घर से दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया गया। 16 मार्च को हरीश की फीडिंग ट्यूब (खाने की नली) हटा दी थी।

हरियाणा सरकार का राहत भरा फैसला, बिजली उपभोक्ता ध्यान दें ! बिजली दरों में अभी नहीं होगी बढ़ोतरी

चंडीगढ़। हरियाणा के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों को यथावत रखने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के कुल 83,79,739 उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। नया टैरिफ 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। आयोग ने यह फैसला विस्तृत विचार-विमर्श और सुनवाई के बाद लिया। यह सुनवाई उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिकाओं के आधार पर की गई थी। जानकारी के अनुसार, दोनों बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) ने आयोग के समक्ष लगभग 4,484.71 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का अनुमान पेश किया था। इसके बावजूद आयोग ने उपभोक्ताओं के हित को प्राथमिकता देते हुए बिजली दरों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह फैसला आम जनता के लिए राहत देने वाला है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई का दबाव बना हुआ है। बिजली दरों को स्थिर रखने से घरेलू, कृषि और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी। आयोग के इस फैसले को राज्य सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीति के रूप में देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

सोनिया गांधी की सेहत स्थिर, दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल ने दिया हेल्थ अपडेट

नई दिल्ली। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की हालत स्थिर है और पेट और मूत्र मार्ग में संभावित संक्रमण की जांच के लिए डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। यह बयान नेता को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के एक दिन बाद जारी किया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सर गंगा राम अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी को मंगलवार रात 10:22 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉ. स्वरूप ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर पेट और मूत्रमार्ग में संभावित संक्रमण की जांच कर रहे हैं। डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं। खबरों के मुताबिक, सांस लेने में तकलीफ होने के बाद गांधी को सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, अजय स्वरूप ने बताया कि विस्तृत चिकित्सा जांच के बाद पता चला कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण के मिले-जुले प्रभाव से सोनिया गांधी के ब्रोंकियल अस्थमा की समस्या थोड़ी बढ़ गई थी। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गांधी जी की तबीयत खराब थी, संभवतः मौसम में बदलाव के कारण, और उन्हें निगरानी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और उनकी हालत गंभीर नहीं है। एहतियात के तौर पर, डॉक्टरों ने उन्हें निगरानी और आगे की चिकित्सा व्यवस्था के लिए भर्ती करने का फैसला किया। कांग्रेस सांसद और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी मां के स्वास्थ्य के कारण केरल की अपनी निर्धारित आधिकारिक यात्रा रद्द कर दी।

केंद्र सरकार और ईसी पर बरसी ममता बनर्जी, कहा- मतदान की तरह नागरिकता भी छीन लेंगे

बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर बुधवार को तीखा हमला करते हुए उन पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने उत्तर बंगाल के मैनागुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मतदान के अधिकार छीन रहे हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगला कदम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करके नागरिकता छीनने का प्रयास हो सकता है। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से कुछ समुदायों को चुनाव प्रक्रियाओं से बाहर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा, राजबंशियों के नाम एसआईआर के जरिए हटा दिए गए हैं। महिलाओं के नाम भी हटाए जा रहे हैं। अगर एसआईआर की वजह से मौतें होती हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, निर्वाचन आयोग, भाजपा और केंद्र सरकार संविधान का पालन नहीं कर रहे और मतदान के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आज वे मतदान के अधिकार छीन रहे हैं; कल वे राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लाकर नागरिकता छीन लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना बनर्जी ने जनसभा में उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे यहां मौजूद सज्जन और दिल्ली में दोनों सज्जनों को विदा करें। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत राज्य की जनता है। उन्होंने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर मिलीभगत से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने हमसे सब कुछ छीन लिया है। अब मेरे पास सिर्फ हमारी जनता है। बनर्जी से उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर निर्वाचन आयोग के छह साल पुराने दस्तावेज का हवाला देते हुए इसी तरह के आरोप लगाए थे। इस दस्तावेज में कथित तौर पर भाजपा का कमल चिह्न अंकित था। उन्होंने कहा, आप छुपकर क्यों खेल रहे हैं? खुलकर सामने आइए और मुकाबला करिए। बनर्जी ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपने साथ वकील ले जाने के लिए कहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित असम में नामांकन रद्द कर दिए गए थे। उन्होंने कहा, मैं अपने उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल करते समय वकीलों को साथ ले जाने के लिए कहूंगी। असम में कई नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। मुझे भाजपा और निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है।

गुजरात में यूसीसी बिल पास, अमित शाह बोले- तुष्टीकरण नहीं, समान अधिकार हमारा संकल्प है

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित किए जाने की सराहना करते हुए इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। 31 जनवरी, 2026 को शाह ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून के प्रति भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया।

शाह ने कहा कि भाजपा की स्थापना से ही यह संकल्प रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो। मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही हैं।

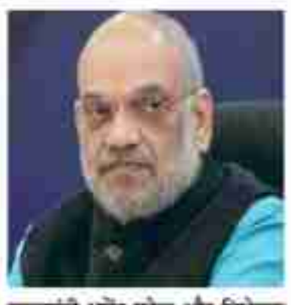

मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इस प्रकार अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस विधेयक का समर्थन करने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूं। देश का संचालन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के आधार पर होना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता और हमारा संकल्प है। इससे पहले, भूपेंद्र पटेल ने विधेयक पारित होने पर राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों और गुजरात के नागरिकों को भी बधाई दी। एक ट्वीट में उन्होंने इस घटना को गुजरात और राष्ट्र दोनों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही गुजरात, धर्म या समुदाय की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को नियंत्रित करने वाला एक समान कानूनी ढांचा लागू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। पटेल ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लागू होने से राज्य में सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में एक समान कानूनी ढांचा स्थापित होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं के लिए समान अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। पटेल ने कहा कि यह सुनिश्चित करेगा कि सभी धर्मों और जातियों की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हों, जिससे उनकी गरिमा और सुरक्षा और मजबूत होगी।

ईरान बोला-अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता, अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दें

तेल अवीव। ईरान ने ट्रम्प के सीजफायर की कोशिशों का मजाक बनाया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिका की सीजफायर के दावे को लेकर कहा कि अमेरिका खुद से ही बातचीत कर रहा है। ईरानी सेना के खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जोलफघारी ने यह बयान सरकारी टीवी पर प्रसारित एक रिकॉर्डेड वीडियो में दिया। उन्होंने कहा, आप जिस ताकत की बात करते थे, वह अब नाकामी में बदल गई है। आप खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, लेकिन अगर यह ताकत आपके पास होती तो अब तक इस हालात से बाहर निकल चुके होते। अपनी हार को समझौते का नाम मत दीजिए। आपके खोखले वादों का दौर अब खत्म हो चुका है।

तेल अवीव के आसमान में कौवों के मंडराने का वीडियो वायरल

इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बुधवार सुबह कौवों का झुंड नजर आया। लोग इसे आने वाली बुरी घटना का संकेत मान रहे हैं। इजराइल में कौवों के झुंड के मंडराने को पुरानी मान्यताओं में किसी बड़ी आपदा या युद्ध से पहले का संकेत माना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि यह मार्च महीने में होने वाला सामान्य पक्षी प्रवास है। इजराइल हर साल 50 करोड़ से ज्यादा पक्षियों के लिए एक अहम रास्ता है, जहां से वे गुजरते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, शहरों में आम तौर पर दिखने वाले हुडेड क्रो (कौवों की एक प्रजाति) जैसे पक्षी अक्सर बड़े झुंड में उड़ते हैं। पक्षी वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसे दृश्य हर साल देखने को मिलते हैं, यहां तक कि युद्ध जैसे हालात में भी पक्षी अपने तय मार्ग पर बिना रुकावट के आगे बढ़ते रहते हैं।

ईरान का दावा- एयरक्राफ्ट केरियर स्स अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया

ईरानी सेना के जनसंपर्क विभाग के अनुसार, क्रूज मिसाइलों ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट केरियर SS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है।

बयान में कहा गया है कि मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। अमेरिका की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

अमेरिका मिडिल ईस्ट में 1 हजार सैनिक तैनात करने की तैयारी में

CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के करीब 1,000 सैनिक आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट भेजे जा सकते हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकी सेना की खास यूनिट है, जो नॉर्थ कैरोलिना में अपने बेस से सिर्फ 18 घंटे के भीतर दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात हो सकती है।

इसे इमीडिएट रिस्पॉन्स फोर्स भी कहा जाता है। इस डिवीजन में करीब 4,000-4,000 सैनिकों की तीन कॉम्बैट टीम, एक एविएशन ब्रिगेड (जिसमें अटैक, ट्रांसपोर्ट और कार्गो हेलीकॉप्टर शामिल हैं), एक आर्टिलरी यूनिट, एक लॉजिस्टिक्स ब्रिगेड और मुख्यालय बटालियन शामिल हैं।

इराक में पैरामिलिट्री ठिकाने पर हमला

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इराक में एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। पश्चिमी इराक के अनबार इलाके में एक पैरामिलिट्री ठिकाने को निशाना बनाया गया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, एक फाइटर जेट से दो मिसाइलें दागी गईं। हमले में हशद अल-शाबी नाम के समूह को निशाना बनाया गया। यह पहले एक पैरामिलिट्री संगठन था, लेकिन अब इराक की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा माना जाता है। हमला उसी बेस पर हुआ, जिस पर एक दिन पहले भी अटैक हुआ था, जिसमें 15 लड़ाकों की मौत हो गई थी।

सर्वदलीय बैठक - हम पाक जैसे दलाल देश नहीं, ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता के सवाल पर जयशंकर की दो टूक

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इस दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान को एक दलाल देश कहा। उनका इशारा इस संघर्ष में पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता की ओर था। सूत्रों के अनुसार, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों में कुछ भी नया नहीं है। क्योंकि 1981 से ही अमेरिका उस देश का इस्तेमाल करता आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संसद परिसर में पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई

"पश्चिम एशिया संकट पर सर्वदलीय बैठक में सरकार ने पाकिस्तान को दलाल देश बताते हुए कहा कि भारत ऐसी भूमिका नहीं निभाता। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि भारत सक्रिय है। विपक्ष ने जवाबों को असंतोषजनक बताया और संसद में चर्चा की मांग की।

इस बैठक में जयशंकर ने उपस्थित लोगों से कहा, हम कोई दलाल देश नहीं हैं। बैठक में सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत इस मुद्दे पर चुप नहीं है, बल्कि लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पश्चिम एशिया के हालात पर विस्तृत प्रस्तुति दी। सरकार ने यह भी बताया कि उसका सबसे बड़ा फोकस खाड़ी क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, जिसमें अब तक सफलता मिली है।

पाकिस्तान की भूमिका पर सरकार ने क्या कहा?

सरकार ने पाकिस्तान को लेकर साफ कहा कि वह लंबे समय से अमेरिका के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। विदेश मंत्री के हवाले से कहा गया कि भारत ऐसी भूमिका नहीं निभाता और अपनी स्वतंत्र नीति पर चलता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत किसी तीसरे देश के जरिए अपनी कूटनीति नहीं करता।

क्या भारत पश्चिम एशिया मुद्दे पर चुप है?

विपक्ष ने आरोप लगाया कि भारत की प्रतिक्रिया कमजोर है, लेकिन सरकार ने इसे खारिज किया। सरकार ने बताया कि ईरान में भारतीय प्रतिनिधियों ने तुरंत जाकर संवेदना जताई थी और हर स्तर पर भारत सक्रिय है। सरकार ने कहा कि भारत हर स्थिति पर नजर रखे हुए है और जरूरी कदम उठा रहा है।

विपक्ष की नाराजगी और आगे क्या मांग?

कांग्रेस के तारिक अनवर ने कहा कि पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जबकि भारत मूक दर्शक बना हुआ है। विपक्ष ने सरकार के जवाबों को असंतोषजनक बताते हुए लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की मांग की। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने सुरक्षा, विदेश नीति और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर सवाल उठाए। सरकार ने दोहराया कि उसकी प्राथमिकता भारतीयों की सुरक्षा और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। साथ ही यह संदेश भी दिया गया कि देश को एकजुट रहकर इस स्थिति का सामना करना होगा।